कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेलः–dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

संख्या 2प/रा0पु0/418/2018/ दिनांक /01/.2020

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 1605/XXVIII-2/01(107)2015, चिकित्सा अनुभाग–02, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 तथा सपठित शासनादेश संख्या–1327/XXVIII–2/01(107)2015, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के क्रम में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग, उत्तराखण्ड अथवा किसी अन्य राज्य/केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (क्लीनिकल विशेषज्ञता) से राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में पुनर्नियोजित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पदों का जनपदवार विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	जनपद	विशेषज्ञ के पदों का जनपदवार विभाजन
1	नैनीताल	8
2	बागेश्वर	4
3	चम्पावत	4
4	पिथौरागढ़	6
5	अल्मोड़ा	12
6	उधमसिंहनगर	7
7	देहरादून	6
8	पौड़ी	12
9	उत्तरकाशी	7
10	टिहरी	9
11	रुद्रप्रयाग	4
12	चमोली	9
13	हरिद्वार	9
	योग	**97**

शर्तें/प्रतिबंध

1. केवल सेवानिवृत्त विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सकों (केवल क्लीनिकल विशेषज्ञ पदों हेतु) का पुनर्योजन किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्नियोजन की अवधि में विशेषज्ञ के रुप में विशेषज्ञ चिकित्सक को कन्सलटेंट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
2. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 तथा क्लीनिकल विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण।

3. आरक्षणः– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
4. आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ डाक टिकट लगे 23X10 साईज के स्वपते लिखे दो लिफाफे संलग्न होने चाहिये।
6. आवेदन शुल्क– सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये रु0 200.00 (रु0 दो सौ मात्र), उत्तराखण्ड के मूल निवासी अनु0जा0/अनु0जन0जाति तथा विकलांग अभ्यर्थियों के लिये रु0 100.00 (रु0 एक सौ मात्र)।
7. आवेदन शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा जो कि "महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून" के नामे देय होना चाहिये।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख (सत्यापित प्रति):–
    1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 2. एम0बी0बी0एस0 डिग्री, 3. स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा, 4. उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण, 5. जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र, 6. राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति सम्बंधी साक्ष्य, 7. दो पासपोर्ट साईज फोटो, 8. दो चरित्र प्रमाण पत्र मूल रुप में (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)
9. विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा अपने आवदेन पत्र में पुनर्नियोजन हेतु जनपदवार वरीयता अंकित की जायेगी। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दी गई वरीयतानुसार जनपद में विशेषज्ञ पद उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सक को किसी अन्य जनपद में चयन का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
10. विशेषज्ञ चिकित्सकों की दिनांक 29.02.2020 अथवा नियमित नियुक्तियॉ होने तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति दी जायेगी।
11. पुनर्नियोजन की अवधि वर्षोनुवर्ष गुण–दोष एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर 65 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
12. सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सक को पुनर्नियोजन प्रदान करने से पूर्व उनके द्वारा सेवाकाल में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता तथा उनकी ख्याती को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।
13. पुनर्नियोजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
14. पुनर्नियोजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों (क्लीनिकल विशेषज्ञ) को पुनर्नियोजन की अवधि में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–41/XXVII(7)50(4)/2007, दिनांक 12.09.2017 के प्रस्तर–1 के बिन्दु–1 के अनुसार वेतन/भत्ते/अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगे।
15. पुनर्नियोजन हेतु नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
16. जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्नियोजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सेवक की भॉति एक माह का अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्नियोजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
17. पुनर्नियोजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों (क्लीनिकल विशेषज्ञ) द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अंतर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रुप में प्राइवेट

प्रैक्टिस नहीं की जायेगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

18. आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के बाहर **"विशेषज्ञ चिकित्सक हेतु आवेदन"**अवश्य अंकित करें।
19. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2020 है। आवेदन पत्र महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहस्त्रधारा रोड़, डाण्डा लखौण्ड, देहरादून के नाम हो जो सांय 05 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

<u>आवेदन पत्र</u>

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नामः–...
2. पिता / पति का नामः–...
3. पत्रव्यवहार का पता...

   ....

   शैक्षिक अर्हताः–...
4. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद तथा स्थान / चिकित्सालय...

   ....
5. श्रेणी...
6. आवेदन शुल्क / बैंक ड्राफ्ट का विवरण...
7. आवेदित जनपद वरीयता क्रम में:– 1...2......................................3..............................
8. संलग्न अभिलेखों का विवरणः–

   1. ....
   2. ....
   3. ....
   4. ....
   5. ....
   6. ....
   7. ....
   8. ....
9. अन्य विवरणः–..

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम.......................................

पता.......................................